प्रेस विज्ञप्ति

15.04.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत एक निषिद्ध नारकोटिक पदार्थ मेथाक्वालोन टैबलेटों के अवैध निर्माण और बिक्री से संबंधित एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत प्रेमप्रकाश धनकानी को 10/04/2024 को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। विशेष न्यायाधीश, जयपुर मेट्रो - I (राजस्थान) ने उन्हें 05 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। दिनांक 10.04.2024 को प्रेमप्रकाश धनकानी के आवासीय परिसर में तलाशी कार्यवाही भी संचालित की गई।

ईडी ने स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस अधिनियम,),1985 की विभिन्न धाराओं के तहत स्वर्गीय सुभाष दुदानी और अन्य के खिलाफ राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), जयपुर द्वारा दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि वर्ष 2001 में 4 से 5 मीट्रिक टन, वर्ष 2003-04 में 5 मीट्रिक टन और वर्ष 2009 में 8.9505 मीट्रिक टन मेथाक्वालोन का निर्माण और तस्करी की गई। मेथाक्वालोन टैबलेट का आखिरी बैच वर्ष 2014-15 में निर्मित किया गया था, जिसमें से 14.886 मीट्रिक टन की भारत के बाहर तस्करी की गई थी और शेष 23.32 मीट्रिक टन मरुधर ड्रिंक्स, उदयपुर के परिसर से डीआरआई द्वारा की गई तलाशी अभियान के दौरान जब्त किया गया था। इस अपराध से अर्जित कुल आय **118.76 करोड़ रुपये** आंकी गई है।

मेथाक्वालोन टैबलेट के निर्माण, अपवाहन और अवैध बिक्रय के लिए भारत के साथ-साथ विदेशों में भी कई संस्थाएं/इकाइयां स्थापित की गईं (जिसमें प्रेमप्रकाश धनकानी निदेशक/मालिक थे)। वर्ष 1995 से 2016 तक, मेथाक्वालोन टैबलेटों की विभिन्न खेपों का निर्माण किया गया और विभिन्न खेपों में प्रतिबंधित दवाओं को छिपाकर अफ्रीकी देशों जैसे **केन्या, तंजानिया, मोज़ाम्बिक और मलावी के साथ-साथ दुबई** भी भेजा गया। अपराध भारत में हुआ और अपराध से अर्जित आय विदेश में प्राप्त हुई और बाद में इसे भारत में अंतरित कर दिया गया। इन दवाओं की बिक्री से प्राप्त आय या तो स्वाजीलैंड में या दुबई में स्वर्गीय रोनी जॉनी स्मिथ से नकद में एकत्र की गई थी। विदेशों से प्राप्त नकदी को बाद में हवाला चैनलों के माध्यम से भारत में अंतरित कर दिया गया। इस नकदी का उपयोग ज्यादातर भारत में संपत्तियों की खरीद के लिए बेहिसाब हिस्से (नकदी) के भुगतान के लिए किया गया था। हवाला चैनलों के माध्यम से भारत में भेजे गए नकदी के अलावा, दवाओं की बिक्री से नकद संग्रह को भी दुबई स्थित संस्थाओं से उत्पन्न राजस्व के हिस्से के रूप में दिखाया/दावा किया गया था, जिसे बाद में स्वर्गीय सुभाष दुदानी, प्रेमप्रकाश धनकानी और अन्य सहयोगी द्वारा भारत में खोले गए बैंक खातों में अंतरित कर दिया गया था।

इससे पहले, ईडी ने 28.03.2024 को परमेश्वर व्यास और रवि दुदानी को गिरफ्तार किया था, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने उदयपुर, मुंबई और राजसमंद में आवासीय फ्लैट, कार्यालय, भूखंड और भवन, कारखानों सहित 21 अचल संपत्तियों को कुर्क करते हुए 02 अनंतिम कुर्की आदेश भी जारी किए थे, जिनकी कुल कीमत 13.02 करोड़ रुपये है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।